न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– बंशीधर योगी, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 48 /2024 राजस्व प्रार्थनापत्र

1. उमाशंकर पुत्र श्री रामेश्वर लाल छीपा आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. जमना देवी पुत्री श्री रामेश्वर लाल छीपा आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. तेजराज पुत्र श्री रामेश्वर लाल छीपा आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. रूकमणी देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल छीपा आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. दुर्गा देवी पत्नी श्री मदन लाल छीपा आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. पप्पू पुत्र श्री मदन लाल छीपा आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. राजमल पुत्र श्री मदन लाल छीपा आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. विमला देवी पुत्री श्री रामेश्वर लाल छीपा पत्नी घनश्याम छीपा आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. हरिप्रकाश पुत्र श्री शिवनारायण छीपा आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. सीमा देवी पत्नी श्री महावीर कुमार जैन आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोपाल पुत्र श्री छोगा लाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. लादू लाल पुत्र श्री छोगा लाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. धर्मेन्द्र पुत्र श्री मोहन लाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. प्रेम उर्फ प्रमिला पुत्री श्री मोहन लाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. रूपशंकर पुत्र श्री मोहन लाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. राधा पुत्री श्री मोहन लाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. सीमा पुत्री श्री मोहन लाल कुम्हार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा

उपस्थित :–

1. श्री श्याम लाल वैद —अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मुकेश कुमार जैन ——अधिवक्ता विपक्षी सं.1
3. एकपक्षीय कार्यवाही —विपक्षी सं. 2 से 08

:: आदेश ::

दिनांक– 28/08/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वादपत्र धारा 88,89,91,92–ए,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि मौजा करेड़ा तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 926, 937, 987/1 रकबा 08 बीघा भूमि साबिक रेकार्ड मे स्व0 मांगी लाल वल्द नन्द लाल छीपा निवासी– करेड़ा को राज्य सरकार की अलोटमेट कमेटी द्वारा संवत 2015 मे आंवटन की गई जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सवंत 2021 से 2024 के खाता संख्या 840 मे गैर खातेदारी हक से इन्द्राज है। स्वं0 मांगी लाल वल्द नन्द लाल छीपा निवासी– करेड़ा को उक्त आवंटित आराजी का मौके पर कब्जा सिपुर्द कर पैमूद कर राजस्व नक्शा मे फिट किया गया था, उक्त आवंटित आराजी के दक्षिण दिशा की तरफ आम रास्ता सटा हुआ होकर रास्ता बेमाली की ओर जाता हुआ है और यही भौतिक स्थिति दिनांक 3/04/2023 को गूगल से मेप को सर्च करके निकलवाया है व प्रार्थी की आराजी व रास्ते की आराजी के मध्य कोई बिलानाम या खातेदारी हक की कोई आराजी स्थित नही है , उक्त साबिक आराजी नम्बर 926, 937, 987/1 रकबा 08 बीघा के सेटलमेट ऑपरेशन के दोरान भू प्रबंध कर्मीयो ने नवीन आराजी नम्बर दर्ज करते हुए नवीन जरीब के अनुसार 06 बीघा 14 बिस्वा दर्ज करते हुए 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि कम दर्ज करके त्रूटि की है, जिसे दुरूसत कराया जावे व कमी रकबा नवीन आराजी नम्बर 3859 के पश्चिमी भाग मे 01 बीघा 01 बिस्व एवं आराजी नम्बर 3869 एवं 3870 की दखिणी तरफ नवीन आराजी नम्बर 3859 मे 01 बीघा 01 बिस्वा को शामिल कर दिया, जिसको विपक्षीगण की आराजियात मे मे से कम करके प्रार्थीगण को उसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है,आराजी नबर 3865 मे से 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 3866 मे से 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3867 मे से 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 3868 मे से 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 3869 मे से 01 बीघा , 3870 मे से 14 बिस्वा है। साबिक आराजी नम्बर 926 रकबा 05 बीघा भूमि हजारी पिता हुकमा कुम्हार को आवंटन होने राजस्व विभाग द्वारा नवीन आराजी नम्बर 3859 के रकबे मे नवीन जरीब के अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शा मे बटा नम्बर डालते हुए जरिये इंतकाल नम्बर 619 दिनांक 09/04/80 को फीट की जिसके नवीन नम्बर 8270/3859 दर्ज हुई, जो कालान्तर मे विपक्षी गोपाल ,लादू लाल, धर्मेन्द्र, प्रेम उर्फ प्रमिला, रूपशंकर, राधा व सीमा के नमा पर दर्ज हुई उक्त भूमि प्रार्थीगण की भूमि के पूर्व दिशा मे सटी हुई है, उक्त भूमि की दक्षिण दिशा मे ग्राम बेमाली की ओर आने जाने का रास्ता है, लेकिन सेटलमेन्ट कर्मीयो ने प्रार्थीगण की आराजी के नवीन आराजी नम्बर परिवर्तित करते समय 02 बीघा 02 बिसवा कम दर्ज किया , उक्त कमी रकबा नवीन आराजी नम्बर 3859 के कुलिया रकबे मे शामिल कर दिया, 02 बीघा 02 भूमि भूमि कम दर्ज कर कमी रकबा नवीन आराजी नम्बर 3859 के पश्चिमी भाग मे 01 बीघा 01 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2869 एवं 3870 की दक्षिणी तरफ नवीन आराजी नम्बर 3859 मे 01 बीघा 01 बिस्वा शामिल करना बताकर व साबिक आराजी नम्बर 926 रकबा 05 बीघा भूमि हजारी पिता हुकमा कुम्हार को आवंटन होने राजस्व विभाग द्वारा नवीन आराजी नम्बर 3859 के रकबे मे नवीन जरीब के अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शा मे बटा नम्बर डालते हुए जरिये इंतकाल नम्बर 619 दिनांक 09/04/80 को फीट की जिसके नवीन

उपखण्ड अधिकारी पदेन

नम्बर 8270/3859 दर्ज होना व साथ ही आराजी नम्बर 3859 के कुल रकबे मे से 01 बीघा 10 बिस्वाभूमि काषीराम पिता माधव लाल अचारत को आंवटित करने व राजस्व रेकार्ड मे जरिये नामान्तरणकरण संख्या 2043 दिनांक 28/06/1989 को गैर खातेदारी से दर्ज की गयी, जिसके नवीन बटा नम्बर 9002/3859 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रेकार्ड दर्ज हुई, इसके बाद खातेदारी हक कागजो मे प्राप्त करते हुए काशीराम द्वारा उक्त आराजी को छोटू वल्द उदय लाल लुहार को विक्रय कर दी व छोटू लाल ने सीमा व कल्पना देवी को विक्रय कर दी, जिसके वर्तमान नम्बर 9002/3859 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा है, जो रेकार्ड मे सीमा देवी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। इस प्रकार विपक्षीया सीमा एंव बिलानाम सरकार की दक्षिणी दिशा की दोनो की भूमिया को मिलाते हुए 01 बीघा 01 बिस्वा पर प्रार्थीगण का कब्जा होना बताया गया व भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु अनुतोष चाहा है व साथ ही प्रार्थनापत्र मे उल्लेखित किया कि विपक्षी संख्या 02 से 08 के द्वारा 10/06/2023 को मौका देखकर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया गया। आराजी नम्बर 3859 के कुल रकबे मे से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि काशीराम पिता माधव लाल अचारत को आंवटित करने व राजस्व रेकार्ड मे जरिये नामान्तरणकरण संख्या 2043 दिनांक 28/06/1989 को गैर खातेदारी से दर्ज की गयी, जिसके नवीन बटा नम्बर 9002/3859 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रेकार्ड दर्ज हुई, इसके बाद खातेदारी हक कागजो मे प्राप्त करते हुए काशीराम द्वारा उक्त आराजी को छोटू वल्द उदय लाल लुहार को विक्रय कर दी व छोटू लाल ने सीमा व कल्पना देवी को विक्रय कर दी, जिसके वर्तमान नम्बर 9002/3859 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा है, जो रेकार्ड मे सीमा देवी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। इस प्रकार विपक्षीया सीमा एंव बिलानाम सरकार की दक्षिणी दिशा की दोनो की भूमिया को मिलाते हुए 01 बीघा 01 बिस्वा पर प्रार्थीगण का कब्जा होना बताया गया व भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु अनुतोष चाहा है व साथ ही प्रार्थनापत्र मे उल्लेखित किया कि विपक्षी संख्या 02 से 08 के द्वारा 10/06/2023 को मौका देखकर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया गया। प्रार्थीगण के नाम नवीन राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नवीन आराजी नम्बर 3865, 3866, 3867, 3868, 3869 व 3870 की सीमा से सटी हुई साबिक रेकार्ड अनुसार मोके पर प्रार्थीगण काबिज रहे, जिसकी नवीन आराजी नम्बर 3859 मे शामिल करके राजस्व नक्शा मे विपक्षीगण की अलोटसुदा भूमि से अधिक रकबे का लंबाई व चौडाई मे 01 बीघा 01 बिस्वा ज्यादा अंकन कर दिया। प्रार्थीगण के नवीन खाते मे दक्षिण दिशा की तरफ का कमी रकबा 01 बीधा 01 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 01 सीमा के खाते से आराजी नम्बर 9002/3859 मे से 11 बिस्वा भूमि कम कर प्रार्थीगण के खाते की आराजियात जिसका जिक्र प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 02 मे किया है, उसमे शामिल कराया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण को आराजी नम्बर 3859 एवं 9002/3859 को अंतरण या खुर्द बुर्द नही करने एंव उसका कृषि से अकृषि संपरिवर्तन न किये जाने के लिये स्थायी व्यादेश से प्रबंधित किया जाना नितान्त ही समुचित व विधि सम्मत है, अन्यथा विपक्षीगण उक्त आराजियात को अंतरण या व्ययनित या कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने से प्रतिबंधित नही किया गया तो प्रार्थीगण का वाद पेश करना निरर्थक हो जायेगा। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे व अंत मे मामले मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

इस पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व विपक्षी संख्या 02 लगायत 08 बाद तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी व विपक्षी संख्या 01 द्वारा मामले मे जवाब मय दस्तावेजात पेश किये गये व अपने जवाब मे उल्लेखित किया गया कि प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र मे वर्णित अभिवचनो अनुसार आराजी नम्बर 3859 मे से 01 बीघा 10 बिस्वा जो कि काशीराम पुत्र श्री माधव लाल अचारत को आंवटन हुई है, जिसका नामान्तरणकरण संख्या 2043 दिनांक 28/06/89 को गैर खातेदारी हक से दर्ज हुआ, जिसके नवीन बटा नम्बर 9002/3859 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कायम हुए है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन

उक्त भूमि का आंवटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत कब्जा आंवटी को सिपुर्द किया गया, आंवटन शर्तो की पालना होने से खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हुए व विपक्षी संख्या 01 एक द्वारा मौके पर आंवटी का कब्जा होने व रेकार्ड मे उक्त भूमि नाम पर दर्ज होने से उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय की है। उक्त तथ्यो की प्रार्थीगण को जानकारी है। विपक्षी संख्या 01 जो कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर मालिक व काबिज है। जिसको राजस्व न्यायालय मे चैलेज नही किया जा सकता है व न ही विक्रयपत्र को निरस्तीकरण बाबत कोई दाद ही चाही है। इस कारण से उक्त प्रार्थनापत्र प्रथम दृष्टया पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसमे अपना कमी रकबा आराजी नम्बर 3859 मे शामिल होना बताया है, जबकि विपक्षी संख्या 01 एक द्वारा अपनी आराजी नम्बर 9002/3859 की पत्थरगढ़ी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 21/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र कल्पना, सीमा बनाम सरकार कायम हुए, जिसमे दिनांक 24/01/2023 को पत्थरगढ़ी करने का आदेश पारित किया गया, जिस आदेश के विरूद्व प्रार्थी राजमल व विपक्षी संख्या 06 रूप शंकर द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर मे अपील पेश की जिसके प्रकरण संख्या एल.आर अपील संख्या 36/2023/भीलवाड़ा राजमल, रूपशंकर बनाम कल्पना व अन्य कायम हुए, जिसमे भी प्रार्थी राजमल द्वारा अपनी भूमि उक्त भूमि मे दर्ज होना नही बताया गया, केवल मात्र आराजी नम्बर 9002/3859 मे रास्ते की भूमि होना बताया गया है। जिस पर दिनांक 28/07/2023 को अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा उक्त प्रकरण को वापस रिमाण्ड कर दोनो पक्षो को नोटिस जारी कर पत्थरगढ़ी करने का आदेश पारित किया गया, जिस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवायी का समुचित अवसर दिया गया, जहां पर भी उक्त कमी रकबे का कही पर उल्लेख नही किया गया व साथ ही न्यायालय श्रीमान् द्वारा पत्थरगढ़ी का आदेश दिया गया, जिसकी पालना मे दिनांक 09/02/2024 को पत्थरगढ़ी हो चुकी है, जिसमे मौके पर कब्जा विपक्षी संख्या 01 एक का अपनी खातेदारी जमीन पर ही पाया गया व पत्थरगढ़ी हो चुकी है। प्रार्थी राजमल द्वारा आराजी नम्बर 3869, 3870 के संबध मे विपक्षी संख्या 01 द्वारा जिन खातेदारान से भूमि क्रय की गयी, उनके विरूद्व धारा 188 आर.टि.एक्ट का पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 70/2019 राजस्व वाद एवं प्रकरण संख्या 134/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र राजमल छीपा बनाम छोटू लाल लुहार व अन्य कायम हुए, जिसमे भी प्रार्थीगण का कोई रकबा कम हो व कमी रकबा किसी भूमि मे शामिल हुआ हो ऐसा कोई कथन नही किया है। उक्त वाद जो वर्तमान मे जैर कार्यवाही है व साथ ही विपक्षी संख्या 01 द्वारा मात्र परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने से प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दू विपक्षी संख्या 01 के पक्ष मे होना बताया गया।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ जमाबंदी, आवंटन पत्र व दस्तावेजात पेश किये गये व न्यायिक दृष्टान्त (1) 2012 आरबीजे पेज 667 हरिनारायण बनाम भागीरथ (2) 2015(1) आरएलउब्ल्यू 450 लाडकंवर बनाम लाडू सिंह (3) 2012 आरआरडी 379 मंगलराम बनाम बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू पेश किये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

विपक्षी सख्या 01 द्वारा अपने जमाबंदी की नकल, पत्थरगढ़ी मौका पचा दिनांक 09/02/2024, अति0 संभागीय आयुक्त ,अजमेर के निर्णय की प्रति ,प्रार्थी संख्या 07 राजमल व अन्य द्वारा प्रस्तुत धारा 188 आर.टि.एक्ट का प्रार्थनापत्र मिलान शीट , पर्चा खतोनी दिनांक 26/01/1970 की प्रतिया पेश की गयी, जो शामिल पत्रावली की गयी।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है–

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

2– सुविधा संतुलन

3– अपूरणीय क्षति

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थीगण द्वारा मुख्य अनुतोष जो कि मांगी लाल पुत्र श्री नन्द लाल छीपा निवासी– करेड़ा को करेड़ा तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 926, 937, 987/1 रकबा 08 बीघा भूमि साबिक रेकार्ड मे आंवटन होना व दौराने भू प्रबंध की कार्यवाही के आवंटित भूमि का रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा दर्ज नही कर 04 बीघा 14 बिस्वा दर्ज करते हुए 02 बीघा 02 भूमि भूमि कम दर्ज कर कमी रकबा नवीन आराजी नम्बर 3859 के पश्चिमी भाग मे 01 बीघा 01 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2869 एवं 3870 की दक्षिणी तरफ नवीन आराजी नम्बर 3859 मे 01 बीघा 01 बिस्वा शामिल करना बताकर व साबिक आराजी नम्बर 926 रकबा 05 बीघा भूमि हजारी पिता हुकमा कुम्हार को आवंटन होने राजस्व विभाग द्वारा नवीन आराजी नम्बर 3859 के रकबे मे नवीन जरीब के अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शा मे बटा नम्बर डालते हुए जरिये इंतकाल नम्बर 619 दिनांक 09/04/80 को फीट की जिसके नवीन नम्बर 8270/3859 दर्ज होना व साथ ही आराजी नम्बर 3859 के कुल रकबे मे से 01 बीघा 10 बिस्वाभूमि काषीराम पिता माधव लाल अचारत को आंवटित करने व राजस्व रेकार्ड मे जरिये नामान्तरणकरणं संख्या 2043 दिनांक 28/06/1989 को गैर खातेदारी से दर्ज की गयी, जिसके नवीन बटा नम्बर 9002/3859 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रेकार्ड दर्ज हुई, इसके बाद खातेदारी हक कागजो मे प्राप्त करते हुए काशीराम द्वारा उक्त आराजी को छोटू वल्द उदय लाल लुहार को विक्रय कर दी व छोटू लाल ने सीमा व कल्पना देवी को विक्रय कर दी, जिसके वर्तमान नम्बर 9002/3859 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा है, जो रेकार्ड मे सीमा देवी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। इस प्रकार विपक्षीया सीमा एंव बिलानाम सरकार की दक्षिणी दिशा की दोनो की भूमिया को मिलाते हुए 01 बीघा 01 बिस्वा पर प्रार्थीगण का कब्जा होना बताया गया व भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु अनुतोष चाहा है व साथ ही प्रार्थनापत्र मे उल्लेखित किया कि विपक्षी संख्या 02 से 08 के द्वारा 10/06/2023 को मौका देखकर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया गया।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपनी जमाबंदी पेश की गयी व अपने जवाब मे उजर उठाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी नम्बर 926, 937, 987/1 को आराजी नम्बर 3859 मे मिलना बताया गया है, जबकि आराजी नम्बर 3859 जो कि 935 मी एवं 987 मी से बना है व साथ ही विपक्षी संख्या 01 द्वारा भूमि सद्भाविक तौर पर क्रय करना व मौके पर कब्जा होना व मौका पर्चा दिनांक 09/02/2024 पेश किया गया, जिसके अनुसार विपक्षी संख्या 01 का आराजी नम्बर 9002/3859 पर कब्जा पाया गया व अन्य किसी का कोई कब्जा नही पाया गया व साथ ही पर्चा खतोनी की प्रति पेश की गयी, जिसका अवलोकन करने पर पाया कि मांगी लाल पुत्र श्री नन्द लाल छीपा के नाम पर गैर

उपखण्ड अधिकारी

खातेदारी से दर्ज भूमि रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा के संबध मे भू प्रबंध (सेटलमेन्ट) विभाग द्वारा पर्चा खतोनी खाता संख्या 1088 का बनाया गया, जो वक्त आंवटन किया गया, जिसकी पुस्त भाग पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि "आज दिनांक 26/01/70 को मांगी लाल ने हाजिर हो वह अपने भूमि जो कि 08 बीघा अलोट होना व कब्जा मे कमी होना स्वीकार किया है, जो मौजूदा पेमाईश कब्जासुद हो जाना स्वीकृत किया है। " जिस पर मांगी लाल की अंगूठा निशानी भी लगी हुई, आंवटी की उक्त स्वीकृत के आधार पर उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि दर्ज हुई है, राजस्व रेकार्ड मे किसी प्रकार से भूमि गलत इन्द्राज नही हुई है,प्रार्थीगण द्वारा हजारी पुत्र श्री हुकमा कुम्हार एवं काशीराम पुत्र श्री माधव लाल अचारत को भूमि आंवटन हुई है, जो आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आंवटन की गयी है, विधिवत तोर पर खातेदारी हक अधिकार प्रदान किये गये व कब्जा सिपुर्दगी अनुसार तरमीम की गयी व मौके पर विपक्षी संख्या 01 जो कि सद्भाविक केता मालिक होकर रेकार्डेड खातेदार है व प्रार्थीगण द्वारा हजारी कुम्हार व काशीराम अचारत के आंवटन को किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी है व साथ ही प्रार्थी संख्या 07 राजमल द्वारा जो धारा 188 आर.टि.एक्ट के प्रकरण मे भी विपक्षी संख्या 01 द्वारा क्रय की गई भूमि के संबध मे पूर्व खातेदार छोटू लाल भूमि स्वीकार की है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 01 अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है , विपक्षी संख्या 01 रेकार्डेड खातेदार है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष प्रमाणित नही होकर विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन– प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे स्पष्ट उल्लेख किया गया कि विपक्षी संख्या 02 लगायत 08 द्वारा भूमि पर कब्जा कर लिया गया है व दिनांक 09/02/2024 के मौका पर्चा अनुसार विपक्षी संख्या 01 का अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा है, इस प्रकार प्रार्थीगण पर विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही होकर विपक्षीगण का मौके पर कब्जा है। जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष नही होकर विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित है व विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिनके विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा माननीय उच्च न्यायालयो एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपाद्वित निर्णयो के अनुसार जारी नही की जा सकती है व निषेधाज्ञा जारी होने पर प्रार्थीगण के मुकाबले विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व व विपक्षीगण के पक्ष मे प्रमाणित होता है।

प्रार्थीगण द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है, जिसका सम्मान अवलोकन किया गया, जो प्रकरण मे चस्पा नही होते है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज होने योग्य पाता हूँ।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा–212 आर.टि.एक्ट सारहीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फेशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।दर्ज नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बंशीधर योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)